

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-12वि0-192/2024 - 815

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 25.5.26

विषय:- विभिन्न विभागों एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों से प्राप्त डिबार आदेश/निबंधन रद्द करने/कालीकृत करने/मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग- जल संसाधन विभाग, के आदेश ज्ञापांक-1816 दि0-06.04.2026, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक-405 दि0-08.04.2026, ग्रामीण कार्य विभाग, के आदेश ज्ञापांक-6014 दि0-15.03.2026, आदेश ज्ञापांक-5927 दि0-14.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5848 दि0-13.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5993 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5846 दि0-13.05.26, आदेश ज्ञापांक-5994 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक- 5847 दि0-13.05.2026, आदेश ज्ञापांक-6013 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5935 दि0-14.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5932 दि0-14.05.26, आदेश ज्ञापांक-6011 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक-6012 दि0-15.05.2026, पथ निर्माण विभाग, के आदेश ज्ञापांक-3107(E) दि0-11.05.2026, आदेश ज्ञापांक-2323 (E) दि0-07.04.2026, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा, के ज्ञापांक-1110 दि0-09.04.2026, पथ निर्माण विभाग, के आदेश ज्ञापांक-2338(E) दि0-07.04.2026, कार्यपालक अभियंता कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर, के आदेश ज्ञापांक-938 दि0-06.04.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश/पत्र, जो विभाग को प्राप्त है, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

दिनांक- 25.5.26

पत्रांक-12वि0-192/2024- 815

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

दिनांक- 25.5.26

पत्रांक-12वि0-192/2024- 815

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि विभागीय साईट पर Upload करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनु0-यथोपरि।

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)



543053/26

पत्र संख्या -26/विविध-06-03/2026

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश



मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल लालगंज के अंतर्गत गंगा नदी के बाएं तट पर तेरसियां एवं प्रमचेरा में कटाव निरोधक कार्य, एकरारनामा सं०-06SBD/2020-21 (एजेण्डा सं०-159/02/2020) के तहत संवेदक श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो०-जमालपुर लालगंज, जिला-वैशाली, पिनकोड-844121 द्वारा कराया गया।

2. उक्त निविदा का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अंतिम विपत्र पारित किये जाने के क्रम में संवेदक द्वारा जाली/फर्जी Turnover संबंधी अभिलेख के आधार पर निविदा प्राप्त करने का परिवाद प्राप्त हुआ। परिवाद की जाँच के क्रम में संवेदक द्वारा निविदा के साथ संलग्न वर्ष 2014-15 के Turnover संबंधी अभिलेख का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज के पत्रांक-403 दिनांक-06.05.2020 द्वारा सी०ए० श्री विमल शत्रुधन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया गया। सी०ए० श्री विमल शत्रुधन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पत्रांक-शून्य दिनांक-08.06.2020 से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि निविदा में संलग्न वर्ष 2014-15 के Turnover की राशि भिन्न है, जिससे प्रमाणित है कि संवेदक द्वारा जाली/फर्जी Turnover संबंधी अभिलेख के आधार पर निविदा प्राप्त किया गया।

3. संवेदक द्वारा जाली/फर्जी Turnover संबंधी अभिलेख के आधार पर निविदा प्राप्त करने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-70 दिनांक-03.01.2026 के द्वारा संवेदक के निबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

4. मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-131 दिनांक-08.01.2026 द्वारा संवेदक से कारण-पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-21.01.2026 द्वारा अपने कार्यालय तथा chartered Accountant (CA) से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय देने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में संवेदक को कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करने हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय स्वीकृत किया गया।

5. उक्त के आलोक में संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-19.02.2026 से पुनः आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज के पत्रांक-403 दिनांक-04.06.2020 के साथ-साथ CA Bimal Shatrudhan & Company chartered Accountant के पत्रांक-शून्य दिनांक-08.06.2020 द्वारा समर्पित सत्यापन पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-1296 दिनांक-09.03.2026 द्वारा संवेदक को याचित अभिलेख उपलब्ध करा दी गयी। संवेदक द्वारा पुनः दिनांक-12.03.2026 को आवेदन समर्पित करते हुए, निविदा सं०-6SBD/2019-20 (ग्रुप सं०-01) के बीड में संलग्न 2014-15, 2015-16, एवं 2016-17 चार्टर्ड टर्न ओवर विवरण की छायाप्रति की मांग की गयी।

10/1/26

16/4/26

6. संवेदक द्वारा मामले में कारण-पृच्छा का जवाब न देकर बार-बार विभाग से अभिलेख की मांग किये जाने से स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा जवाब देने के बजाय मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

7. संवेदक द्वारा फर्जी/जाली अभिलेख/कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त किया गया। फर्जी/जाली अभिलेख/कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त किया जाना, बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-11 (क) के उपनियम (vii) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः संवेदक श्री ब्रजधारी कुमार, वैशाली को (निबंधन सं०- WRD051023C1IN00070, श्रेणी-प्रथम) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-11 (क) के उपनियम (vii) में प्रावधानित कदाचार के तहत दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सं०-201 दिनांक-14.03.2016 के आलोक में अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :- 26/विविध-06-03/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो०-जमालपुर लालगंज, जिला-वैशाली, पिनकोड-844121 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-03/2026

1816

पटना, दिनांक : 6/4/25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

बिहार-सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी।
कार्यालय आदेश

कार्या आ0 सं0...११...../दिनांक १-५-२०२६./Email ID- eephedmotihari@gmail.com

पंचायती राज विभाग से हस्तान्तरित योजनाओं के मरम्मत एवं संपोषण कार्य, प्रखंड कल्याणपुर (एकरारनामा संख्या- SBD-19/24-25), का एकरारनामा राजेश कुमार (संवेदक), वार्ड-01, मझरीया शेख, प0 चम्पारण के साथ किया गया था। एकरारनामा के निहित शर्तों के अनुसार आपके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। विदित हो की सहायक अभियंता द्वारा CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु मानव बल की संख्या को बढ़ाने एवं सुपरवाइजर रखने हेतु अनेकों बार मैथिलिक एवं अपने पत्रांक-121 दिनांक-08.10.2025, पत्रांक-130 दिनांक-29.10.2025 पत्रांक-157 दिनांक-09.12.2025, पत्रांक-10 दिनांक-10.01.2026 पत्रांक-11 दिनांक-19.01.2026 एवं पत्रांक-18 दिनांक-30.01.2026 तथा कनीय अभियंताक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा कल्याणपुर का पत्रांक-शून्य दिनांक-19.01.2026 द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी आपके द्वारा मानव बल की संख्या नहीं बढ़ाया गया जिस कारण दिनांक-01.04.2026 को कल्याणपुर प्रखंड में कुल 29 CGRC Portal पर शिकायत लंबित है जिसमें से 11 CGRC शिकायत 1 से 3 दिनों से, 6 CGRC शिकायत 4 से 7 दिनों से तथा 12 CGRC शिकायत 7 से 75 दिनों से लंबित है। इस कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा CGRC Portal से प्राप्त शिकायतों का निराकरण स-समय नहीं किया जा रहा है, जबकि CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर पूर्ण करना आवश्यक है। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कल्याणपुर द्वारा कार्यों में रूची न लेने एवं लापरवाही बरतने के कारण आपने पत्रांक-54 दिनांक-02.04.2026 द्वारा आपको डिबार करने हेतु अनुशासक पत्र अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया है।

फलतः उल्लेखित परिस्थितियों में बाध्य हो कर एकरारनामा में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2131 (S) पटना दिनांक- 13.03.2009 के आलोक में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप संवेदक/ऐजेन्सी राजेश कुमार, वार्ड-01, मझरीया शेख, प0 चम्पारण, पिन-845454, मो0- 7488679065 E-mail ID- rajeshkumarbth823@gmail.com, सूचीबद्धता संख्या- 040320200177 को किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से वंचित (डीबार) किया जाता है।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

ज्ञापांक 405...../ दिनांक १-५-२६...../

प्रतिलिपि:-संवेदक राजेश कुमार, वार्ड-01, मझरीया शेख, प0 चम्पारण, पिन-845454, मो0-7488679065 E-mail ID-rajeshkumarbth823@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 405...../ दिनांक १-५-२६...../

प्रतिलिपि:-सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कल्याणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 405-...../ दिनांक १-५-२६...../

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक सादर समर्पित।

ज्ञापांक 405-...../ दिनांक १-५-२६...../

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

बिहार-सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी।
कार्यालय आदेश

कार्या आ० सं० ३१...../दिनांक ८-५-२६...../Email ID- eephedmotihari@gmail.com

ज्ञापांक ४०५...../दिनांक ८-५-२६...../

प्रतिलिपि:-ग्रामीण कार्य विभाग, मोतिहारी/भवन निर्माण विभाग, मोतिहारी/योजना एवं विकास विभाग, मोतिहारी/नगर विकास एवं आवास विभाग, मोतिहारी/लघु जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/ पथ निर्माण विभाग मोतिहारी/बुडको, मोतिहारी/LAEO मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shardan
08/05/26
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मोतिहारी।
20/05/26

5622096/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
निदेशांक
19 MAY 2026
Punam
1874
1872

80-12
20 MAY 2026

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014 / पटना, दिनांक- 15/5/26
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ के अधीन MR (3054) योजना-तर्गत कुल 03
(तीन) पथ यथा 1. Kondhi Path to Sadikpur 2. Ajgra MR Road to Khushal Chak Pul tak 3.
PMGSY Road to Dholpur (Bhuapur) का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य संवेदक बालाजी
इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन संख्या:-1230274), पता:-रामनन्दन सिंह,
मोलदियार टोला, पीपर तर वार्ड संख्या-12, मोकामा, पटना, पिन कोड-803302 को आवंटित
किया गया था।

संवेदक को संदर्भित पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किये जाने का निदेश दिये जाने
के उपरान्त संवेदक द्वारा दूरभाष पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
बाढ़ के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उनके परिवार के साथ अप्रिय घटना किये जाने की धमकी
दिये जाने के कारण संवेदक बालाजी इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन संख्या:-
1230274) के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया
गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4695 अनु0 दिनांक 17.04.2026 द्वारा
स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित आरोप का कोई जवाब नहीं दिया गया है,
बल्कि उनके निवेदा से संबंधित मामले में माननीय ट्रिब्युनल, बिहार, पटना में वाद दायर होने
एवं इसे लंबित रहने तक कार्रवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है। संदर्भित मामले
का स्पष्टीकरण से कोई संबंध नहीं है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण
स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य
विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (i) & (ii) एवं
11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक बालाजी इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन
संख्या:-1230274), पता:-रामनन्दन सिंह, मोलदियार टोला, पीपर तर वार्ड संख्या-12, मोकामा,
पटना, पिन कोड-803302 के निबंधन संख्या:-1230274, PAN No. EXCPK4171D को
कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

14/05/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014

/ पटना, दिनांक- 15/5/26

निबंधित

प्रातोलाप- म संवेदक बालाजी इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन
संख्या:-1230274), पता:-रामनन्दन सिंह, मोलदियार टोला, पीपर तर वार्ड संख्या-12, मोकामा,
पटना, पिन कोड-803302 को सूचनार्थ प्रेषित।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख

P.T.O

23-5-26
3787
14/05/26

1871 1873

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-15/5/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

14/05/2026


अभियंता प्रमुख

Website

1

5622005/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-105/2026 5927

संवेदक M/S Laxmi Construction (Reg. No. 1250231), Add:- At - Shambhupatti, P.O - Shambhupatti, P.S - Samastipur, Distt - Samastipur, Bihar, Pincode: 848129 को कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन MMGSY योजनान्तर्गत Package No.RRSMP/25-26 Samastipur/06 (Tender ID- 142005) द्वारा पथों को आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 25(CMBD)2025-26 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.08.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 13.08.2026 है।

निविदा संख्या:-142005 के अन्तर्गत पथों का कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से संवेदक को निदेशित किये जाने के जाने के उपरान्त भी संदर्भित निविदा के अन्तर्गत पथों का कार्य प्रारम्भ किये जाने में कोई अभिरुची नहीं ली गयी। तदालोक में उक्त एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक 570 दिनांक 13.03.2026 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4120 अनु0 दिनांक 02.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वास्थ्य कारणों से संदर्भित निविदा के अन्तर्गत पथों का कार्य प्रारम्भ नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक M/S Laxmi Construction (Reg. No. 1250231), Add:- At - Shambhupatti, P.O - Shambhupatti, P.S - Samastipur, Distt - Samastipur, Bihar, Pincode: 848129 के निबंधन संख्या:-1250231, PAN No AADFL3871D को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026 5927

/पटना, दिनांक-14/5/26

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक M/S Laxmi Construction (Reg. No. 1250231), Add:- At - Shambhupatti, P.O - Shambhupatti, P.S - Samastipur, Distt - Samastipur, Bihar, Pincode: 848129 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026 5927

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/मवन निर्माण विभाग/जल ससाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

23.5.26

अभियंता प्रमुख

६६

1869


1871

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026

5927

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026

5927

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख 14/5/26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026

5927

/पटना, दिनांक-


Website

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।


अभियंता प्रमुख
७

5622056/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848 /पटना, दिनांक-13/5/26

संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718), Add:-Vill+P.O-Benipatti, Dist-Madhubani, Bihar Pincode-847223 को कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत Hanuman Temple to Kerbar Tol पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 54/SBD/2020-21 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 26.08.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.08.2021 था।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी द्वारा एकरारनामा संख्या:-54/SBD/2020-21 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3521 दिनांक 19.03.2026, एवं पत्रांक 4749 दिनांक 17.04.2026 द्वारा संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718), Add:-Vill+P.O-Benipatti, Dist-Madhubani, Bihar Pincode-847223 के निबंधन संख्या:- 2190718, PAN No. AFJJPJ4660H को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

/पटना, दिनांक-13/5/26

निबंधित

प्रतिलिपि-- संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718), Add:-Vill+P.O-Benipatti, Dist-Madhubani, Bihar Pincode-847223 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-13/5/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

प्रतिलिपि--प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल ससाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O

1869

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

Website

63
प्रशाखा प्रमुख
लोक सेवा विभाग

5622 048/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
निदेशांक
19 MAY 2026
Rumar
1968

संवेदक Suman Kumar Tiwary (Regd. No-1240225), S/O-Rambilash Tiwari,
Gram- Nagrah, Post- Nagrah, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 बिहार भवन निर्माण विभाग के
अधीन भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन निर्माण कार्य की
निविदा में भाग लिया गया।

40-12

अभियंता प्रमुख-सह-विहार
20 MAY 2026

भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण
कार्य की निविदा में संवेदक द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 2484(भ) अनु0
दिनांक 12.08.2025 द्वारा संवेदक Suman Kumar Tiwary के विरुद्ध बिहार टिकेदारी निबंधन
नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा किये
गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व विभागीय पत्रांक 3707
दिनांक 24.03.2026, पत्रांक 4608 दिनांक 16.04.2026 एवं पत्रांक 5120 दिनांक 28.04.2026 द्वारा
संवेदक से कारणपृच्छा की गई। कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक आरोप के बिंदु
पर अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव
में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में
प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित
करने संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण
कार्य विभाग) के नियम 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Suman
Kumar Tiwary (Regd. No-1240225, PAN-ADOPT3318B), S/O-Rambilash Tiwari,
Gram- Nagrah, Post- Nagrah, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 को कालीकृत (Blacklist)
किया जाता है।

12/05/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026 57993 /पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती
राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल
संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध
निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

12/05/2026

अभियंता प्रमुख

4/11-3788
23.5.26
Rumar
12/5/26

P.T.

1867

निबंधित

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026

5993

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- Suman Kumar Tiwary (Regd. No-1240225), S/O-Rambilash Tiwari, Gram- Nagrah, Post- Nagrah, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 15/5/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026

5993

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 15/5/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026

5993

/पटना, दिनांक:-


प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

६१.

56 22020/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846
संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन NABARD योजनान्तर्गत Construction of High Level RCC Bridge Near Gopalpur Muraul Pokhadbhinda पुल का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकराजनामा संख्या:- 31/SBD/2023-24 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 08.12.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 07.12.2024 था।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

उदात्त संवेदक द्वारा संदर्भित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा एकराजनामा संख्या:- 31/SBD/2023-24 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3520 दिनांक 19.03.2026, एवं पत्रांक 4871 दिनांक 21.04.2026 द्वारा संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 के निबंधन संख्या:- 2200046, PAN No. ACMPS5040C को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

/पटना, दिनांक-13/5/26

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

/पटना, दिनांक-13/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O

3789
23.5.26
[Handwritten signatures and dates]

1865

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।


/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

Website

5622078/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



संवेदक Murari Yadav(Regd. No-2210968), Vill-Tintanga, Karari, PO-Tintanga Karari, PS-Gopalpur, Dist-Bhagalpur, Pin-853205 को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण

कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर के अधीन सबौर प्रखंड के शंकरपुर दियारा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 16.05.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.07.2026 है।

एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा ससमय कार्य नहीं प्रारंभ करने के पश्चात क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु संवेदक को कई बार स्मारित किया गया इसके बावजूद संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं की गई। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर का पत्रांक 184 दिनांक 03.02.2026 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए उनके पत्रांक 186 दिनांक 03.02.2026 द्वारा संवेदक को कालीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। इसी बीच संवेदक द्वारा अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए 40(चालीस) दिनों के अंदर पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। इस आधार पर अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक 71 दिनांक 11.02.2026 द्वारा उक्त एकरारनामा विखंडन आदेश को 40(चालीस) दिनों के लिए स्थगित करते हुए कार्य पूर्ण किये जाने हेतु संवेदक को मौका दिया गया।

कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक 2086 दिनांक 17.02.2026 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई। कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक 71 दिनांक 11.02.2026 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक 4721 दिनांक 17.04.2026 द्वारा अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर से कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।

अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक 166 दिनांक 21.04.2026 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक मुरारी यादव द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित Work Programme समर्पित करते हुए 40 दिनों के अंदर कार्य में प्रगति लाने का आश्वासन दिया गया। परंतु मुरारी यादव द्वारा समर्पित संशोधित Work Programme के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण पुनः कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर का पत्रांक 571 दिनांक 13.04.2026 द्वारा एकरारनामा विखंडित किया गया है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है।

P.T.O.

1863

वर्णित परिप्रेक्ष्य में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर के अधीन सबौर प्रखंड के शंकरपुर दियारा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार पूर्ण नहीं किये जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Murari Yadav(Regd. No-2210968), Vill-Tintanga Karari, PO-Tintanga Karari, PS-Gopalpur, Dist-Bhagalpur, Pin-853205 को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994

/पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994

/पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-Murari Yadav(Regd. No-2210968), Vill-Tintanga Karari, PO-Tintanga Karari, PS-Gopalpur, Dist-Bhagalpur, Pin-853205 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994

/पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994

/पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, भागलपुर एवं अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994

/पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

Dr.

25

5622013/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847


संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add: S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन NABARD योजनान्तर्गत Construction of Bridge over Damodar River from Paktola to Chakuti पुल का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 28/SBD/2023-24 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.10.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.10.2024 था।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा एकरारनामा संख्या:-28/SBD/2023-24 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3514 दिनांक 19.03.2026, एवं पत्रांक 4872 दिनांक 21.04.2026 द्वारा संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 के निबंधन संख्या:- 2200046, PAN No. ACMPS5040C को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।



(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

/पटना, दिनांक-13/5/26


प्रतिलिपि- संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

/पटना, दिनांक-13/5/26


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

CH

P.T.O

379/
23.5.26



1861

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख


Website

4

5622034/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1860



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-328/2025

/पटना, दिनांक-

मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1920 दिनांक 09.12.2025 द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-MNNQ-04 के ग्रुप संख्या-18 की निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किये जाने के कारण संवेदक Surendra Prasad Ojha, (Reg. No. 2150055), Add:- At- Friends Colony Pakri, Ara, P.O+P.S-Nawada, Dist-Bhojpur, Pincode-802301 को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 12772 अनु0 दिनांक 18.12.2025 एवं पत्रांक 739 दिनांक 19.01.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें संदर्भित निविदा के संदर्भ में पूर्व से ही कालीसूची में सम्मिलित रहने का उल्लेख किया गया। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 3523 दिनांक 19.03.2026 एवं पत्रांक 4367 दिनांक 09.04.2026 द्वारा कालीकृत संबंधी पत्र की मांग की गयी, जिसके आलोक में संवेदक का उत्तर अब तक अप्राप्त है।

निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा कालीकृत संबंधी पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Surendra Prasad Ojha, (Reg. No. 2150055), Add:- At- Friends Colony Pakri, Ara, P.O+P.S-Nawada, Dist-Bhojpur, Pincode-802301 के निबंधन संख्या:-2150055, PAN No. AALPO3773B को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

[Signature]
14/05/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक-15/5/26

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Surendra Prasad Ojha, (Reg. No. 2150055), Add:- At- Friends Colony Pakri, Ara, P.O+P.S-Nawada, Dist-Bhojpur, Pincode-802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
14/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
14/05/2026
अभियंता प्रमुख

क०प०उ०


[Handwritten signature]
24/5/26

1859

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक-15/5/26


प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


14/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



14/05/2026
अभियंता प्रमुख 15/5/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को संवेदक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निमित्त आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



14/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक-15/5/26

Website


प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


14/05/2026
अभियंता प्रमुख

1

5622029/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

संवेदक Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127), Add:- Vill-Kumai, P.O- Nari Bhadawan, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode 847103 को कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत Mani Mahpatia to Sonbersha Tol पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 11.01.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.01.2022 था।


उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक आभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुद्धि नहीं ली गई। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर द्वारा एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 659 अनु0 दिनांक 06.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के पत्रांक 533 अनु0 दिनांक 04.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा 200 मी0 में कालीकरण का कार्य किया गया। शेष पथांश में कालीकरण का कार्य आवश्यक है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127) पूर्णतः दोषी है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 41 (ख) (ii) के आलोक में Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127), Add:- Vill-Kumai, P.O- Nari Bhadawan, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode 847103 के निबंधन संख्या:-1200127, PAN No. ABHPY9549C को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।



(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-14/5/26

निवेदित

ज्ञापक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935


प्रतिलिपि- संवेदक Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127), Add:- Vill-Kumai, P.O- Nari Bhadawan, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode 847103 को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-14/5/26

ज्ञापक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख




1857

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

/पटना, दिनांक-14/5/26

Website


प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

1857

5622024/26



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288, PAN-AAHCR4725K) द्वारा विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 12396 दिनांक 10.12.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-571/2026 Rishav Utilities services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.03.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में सुनवाई के संबंध में।

08/05/2026

आदेश

संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. की ओर से नीरज कुमार उपस्थित एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी के अधीन एम०एम०जी०एस०यु०वाई० योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई०डी०-141673 एवं 142021) में संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) द्वारा फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 12396 दिनांक 10.12.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।


प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है:-

कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी के अधीन एम०एम०जी०एस०यु०वाई० योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई०डी०-141673 एवं 142021) में संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) द्वारा फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण संदर्भित निविदा में संवेदक को अयोग्य घोषित करते हुए संवेदक के विरुद्ध बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक से कारणपृच्छा की गई। निर्धारित समयावधि तक संवेदक से आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में आरोप को प्रमाणित मानते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 12396 दिनांक 10.12.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

- उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-571/2025 Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।
- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-571/2026 Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.03.2026 को न्यायादेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

“14. In view of the fact that fair opportunity of hearing has not been granted to the petitioner, the documents which formed basis of the impugned order of blacklisting were never supplied to him, and taking note of decisions of Hon'ble Apex Court mentioned above, the impugned order of blacklisting dated 10.12.2025 as contained in Memo No. 12396 is hereby set aside.

15. The matter is remitted back to the competent authority, who shall pass an appropriate order in accordance with law after affording due opportunity of hearing to all the stakeholders, and if necessary, granting personal hearing.



400-3780
23.5.26
[Handwritten signature]


1855

16. With the aforesaid observations and direction, the present writ application stands disposed of.

17. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आज दिनांक 08.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान संवेदक द्वारा भुगतान प्रमाण पत्र के संबंध में बताया गया कि उनके द्वारा कई निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें भुगतान लंबित है। अबतक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।
5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में On-going works के एकरारनामा की राशि के आधार पर भुगतान का अनुमान बताया गया, परंतु उनके द्वारा भुगतान प्रमाण पत्र के संबंध में कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी के अधीन एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई0डी0-141673 एवं 142021) में फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288, PAN-AAHCR4725K) को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(सुधंशु कुमार)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-14/5/26

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-294/2025 5932


प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-14/5/26

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-294/2025 5932


प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-14/5/26

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-294/2025 5932

प्रतिलिपि:-Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) At-Shri Rampuri Colony, NH 28, Post-Sahjanand Colony, Behind State Bank, Bhagwanpur, Dist-Muzaffarpur, Pin-843120 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

(25)

बद्धित

5622038/24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
19 MAY 2026
E.in.clt
1854

20 MAY 2026

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन शीर्ष नाबाई योजनांतर्गत Construction of HL RCC Bridge(9x24.75m) over Kuil River at Hussaina Ghat(Abgil Panchayat) पुल निर्माण कार्य संवेदक Amit Kumar(Regd. No-1160025/1190304), At-Vijay Nagar, PO-Lohiyanagar, PS-Patrnakarnagar, Dist-Patna, Pin-800020 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 15.01.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.07.2017 है।

उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण दिनांक 03.04.2024 को वरीय पुल सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग एवं मुख्य अभियंता-03, भागलपुर, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण कराने हेतु संवेदक को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा त्रुटियों के निराकरण एवं कार्य पूर्ण कराने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तदालोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक 3529 दिनांक 19.03.2026 एवं पत्रांक 4784 अनु0 दिनांक 20.04.2026 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई। कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा आरोप के बिंदु पर अबतक अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक द्वारा कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन शीर्ष नाबाई योजनांतर्गत Construction of HL RCC Bridge(9x24.75m) over Kuil River at Hussaina Ghat(Abgil Panchayat) पुल निर्माण में त्रुटियों का निराकरण नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Amit Kumar(Regd. No-1160025/1190304, PAN-AIBPK3232H), At-Vijay Nagar, PO-Lohiyanagar, PS-Patrnakarnagar, Dist-Patna, Pin-800020 को कालीकृत(Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापकांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011

/पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

दा.क्र-3783
23/5/26

Handwritten signature and initials

1853

निबंधित

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011 /पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-Amit Kumar(Regd. No-1160025/1190304), At-Vijay Nagar, PO-Lohiyanagar, PS-Patnakarnagar, Dist-Patna, Pin-800020 को सूचनार्थ प्रेषित।

12/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011 /पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011

/पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/05/2026

अभियंता प्रमुख

द्व.

5622105/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

निदेशानुसार
19 MAY 2025
/ पटना, दिनांक-15/5/26
E-In-CHD
1832

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012
संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370), Add:-

At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 को कार्य प्रमंडल, सोनपुर के अधीन MR-3054 (Old) योजनान्तर्गत Parsa to Bheldi पथ का निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया। संदर्भित पथ का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिलेख नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3744 दिनांक 18.12.2024, पत्रांक 289 दिनांक 21.01.2025 एवं पत्रांक 779 दिनांक 21.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में पंचवर्षीय अनुरक्षण से इतर अन्य मामलो का उल्लेख किया गया है तथा मूल आरोप पर जवाब नहीं दिया गया है साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाना, संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370) पूर्णतः दोषी है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370), Add:- At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 के निबंधन संख्या:-1230370, PAN No. AAJCA9684J को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

दिनांक-3784
23.5.26

14/05/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख
/ पटना, दिनांक-15/5/26

14/05/2026
अभियंता प्रमुख

P.T.O

ज्ञापक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

प्रतिनाम- संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370), Add:- At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 को सूचनार्थ प्रेषित।

सुधीर कुमार
अभियंता प्रमुख
23/5/26


25

(185)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/ब्लॉक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26


प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26


प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।


अभियंता प्रमुख

Website


1

5591301/26

P.H.E.D

Dr. Sumit
Kumar

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश



संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०-5941 (S)We दिनांक-04.07.2025 से संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpora, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं०-1200030 श्रेणी-01) को पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत हथौड़ी कोठी PWD रोड तक में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compressive Strength प्रावधान (305.916 kg/cm²) से कम 190.66 kg/cm² पाये जाने के लिए विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-5570(E)We, दिनांक-21.08.2025, के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-03.09.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन के साथ-साथ विभागीय मार्गदर्शिका की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में विभागीय पत्रांक-6729(E)We, दिनांक-27.09.2025 द्वारा संवेदक को कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-20.10.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक-543(E)We, दिनांक-22.01.2026 एवं पत्रांक-2157(E) दिनांक-25.03.2026 द्वारा TTRI से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके आलोक में TTRI के पत्रांक-197 अनु० दिनांक-01.04.2026 उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित है कि "विभागीय मार्गदर्शिका एवं MoRTH के प्रावधानों के अनुरूप विषयांकित पथ से संग्रहित PQC (M30) के नमूनों का जाँचफल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है। तदनुसार सम्यक विचारोपरान्त संवेदक का स्पष्टीकरण तथ्यपरक नहीं पाया गया।"

अतः प्रस्तुत मामले में विषयांकित पथ में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compressive Strength प्रावधान (305.916 kg/cm²) से कम 190.66 kg/cm² पाये जाने के दृष्टिपथ में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpora, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं०-1200030 श्रेणी-01) (PAN No.-ANVPS8730R) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

क०प०उ०

1849

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-31/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpora, Muzaffarpur, Bihar, Pin-842002, E-mail ID-adityaprakash625@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-31/2025-

3107(E)/पटना, दिनांक.....11/5/26

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

BM
09/05/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

Am
09.05.26

5622070/24

1848

(21)

(13)

अपर (सह) सचिव, 21/05/2025

(92)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
19 MAY 2025
कुम्हार
E.in-c

20-12
2606
20 MAY 2025
ECC

अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीठ पत्र सं-3314 (S) We दिनांक-25.04.2025 से दिनांक-30.01.2025 को उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत रजवारा-तरौनी से धोईघाट पथ भाया फरदाहा-इटहरवा-आमी-मझिगामा-धबैला-धोईघाट कि०मी० 0.00 से कि०मी० 17.20 पथ के 9वें कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Compressive Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 131.6625 Kg/cm² पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त अनियमितता हेतु संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd. (निबंधन सं०-1210026 श्रेणी-01) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

अपर सचिव (सह)

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-3055(E), दिनांक-16.05.2025 एवं पत्रांक-4303 (E) दिनांक-03.07.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। तद्दालोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-HIPPL/NEC/2025-26/183 दिनांक-07.07.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पथ की पुनः जाँच कराने का अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-4, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-193(गो०)अनु० दिनांक-17.10.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त जाँच कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही की गई थी एवं पुनः जाँच की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-5752 (E) दिनांक-27.08.2025 से इस संबंध में पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-HIPPL/RCD/25-26/261 दिनांक-12.02.2026 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। जिसमें संवेदक द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि को डरा-धमका कर एवं दबाव बनाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने का उल्लेख किया गया। साथ ही जाँच प्रतिवेदन के संबंध में पुनः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र एजेन्सी से जाँच कराने का अनुरोध किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त तथ्यपरक एवं स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अभियंता प्रमुख
पत्र संख्या
3375

1199

अतः पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत रजवारा-तरौनी से धोईघाट पथ भाया फरदाहा-इटहरवा-आमी-मझिगामा-धबैला-धोईघाट कि०मी० 0.00 से कि०मी० 17.20 पथ के 9वें कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Compressive Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 131.6625 Kg/cm² पाये जाने के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित त्पांक 5400 (S) दिनांक 16.05.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd. (निबंधन सं०-1210026 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

H0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

3.4.2026
3754
22.5.26

10.5.26
3/1/26

अपर सचिव (सह)
अपर आयुक्त
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

91
1847
Recd Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-11/2025-

प्रतिलिपि :- संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd., House-165, Manju Villa,
Patliputra Colony, Patna, Bihar-800013/ H/O-A/206, Sheetal Dhamevershine City,
Gokhiware, Thane, Maharashtra-401208/ 404, Genx Icon, Near Saguna More, Bailey
Road, Patna- 801503, E-mail ID- hopeconinfraprojects@gmail.com, info@
hopecon.infra.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक.....

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-11/2025- 2323(E) /पटना, दिनांक 7/04/2026.
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन
विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,
पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्ट
रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

02.04.26

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,

ज्ञापांक:-14/अ०प्र०-13-14/2025 5934

/पटना, दिनांक 14/5/26

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई०टी० मैनेजर,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/5/2026
13-05-2026
(प्रभाष चन्द्र सिंह प्रबल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ०प्र०-13-14/2025 5934

/पटना, दिनांक 14/5/26

प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, पी०एम०जी०एस०वाई०/ एम०एम०जी०एस०वाई०/नाबाड
/एम०आर० (3054) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

01/5/2026
13-05-2026
सरकार के उप सचिव

BH

पत्रांक:-

/नवादा, दिनांक:-

प्र.प.सं. 12

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा

सेवा में,

श्री राकेश (संवेदक)

भी0आई0पी0 कॉलोनी, मोतीनगर, नवादा।

MBD-119/2019-20, Mob-7004810249

विषय :-

डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय के पत्र संख्या-1082 दिनांक-04.08.2023, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बारिसलीगंज के पत्र संख्या-132 दिनांक-19.08.2021, पत्रांक-43 दिनांक-16.02.2026 एवं 81 दिनांक-04.04.2026 इस कार्यालय के ज्ञापक-600 दिनांक-18.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा इस कार्यालय में एकरारनामा संख्या- MBD-119/2019-20 के तहत प्रखण्ड-काशिवक, पंचायत-सुभानपुर, चार्ड संख्या-01.07 में "हर घर नल का जल" योजना के तहत जलापूर्ति योजना का डी0वी0 कार्य एवं 5 वर्षों का रख-रखाव का कार्य का एकरारनामा किया गया था, लेकिन आपके द्वारा मोटर खराब हो जाने पर मानक प्रावधान के तहत मोटर नहीं बनाना, CGRC Portal पर प्राप्त शिकायत का निपटारा नहीं करना, समय पर पम्प ऑपरेटर का पारिश्रमिक भुगतान नहीं करना, समय पर विद्युत विपत्र जमा का रशिद उपलब्ध नहीं कराना, समय पर योजना के विलुद्ध रख-रखाव का विपत्र तैयार करने हेतु आवश्यक कागजात समर्पित नहीं करना ये सब एकरारनामा के विभिन्न सुसंगत कंडिका के अनुकूल नहीं है, जिसकी सूचना एवं निर्देश आपको प्रासंगिक पत्रों दूरभाष, बैठक के माध्यम से दी है। लेकिन आपने जलापूर्ति योजना को चालू करने में कोई अभी रुक नहीं है।

अतः आपको एकरारनामा संख्या-MBD-119/2019-20 के विभिन्न सुसंगत कंडिकाओं के तहत एकरारनामा, निविदा की शर्तों एवं विभागीय निर्देश का उल्लंघन करने के कारण आपका विभागीय सूचिवद्वता संख्या-541/2019 को अगले आदेश तक डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

ज्ञापक-

नवादा दिनांक-

प्रतिलिपि:- अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवादा/रजौली/बारिसलीगंज /अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

ज्ञापक- 1110

नवादा दिनांक- 07/04/2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नवादा जी अंचल नवादा जी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रखेत्र, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

सं. 3066
17-4-26

9/1/2026
14/4/26

5445031/26

(24)


(वि-च-१, P.H.E.D.)

B.H.

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

(1845)



अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०-3108 (S) We दिनांक-11.04.2025 से दिनांक-30.01.2025 को उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत चट्टी चौक से फेकला पथ (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.050) पथ के 5th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (407.888 Kg/cm²) से काफी कम 276.6125 Kg/cm² पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त अनियमितता हेतु संवेदक Vidyarthi Construction Private Limited., (निबंधन सं०-1250053 श्रेणी-01) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-7223(E) We, दिनांक-17.10.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-13.11.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-4 के प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-104(E) We, दिनांक-07.01.2026 से माँगी गई दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिस क्रम में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-27.01.2026 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसे समीक्षोपरान्त तथ्यपरक एवं स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत चट्टी चौक से फेकला पथ (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.050) पथ के 5th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (407.888 Kg/cm²) से काफी कम 276.6125 Kg/cm² पाये जाने के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक Vidyarthi Construction Private Limited., (निबंधन सं०-1250053 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7 / कार्रवाई-05-09 / 2025-

/ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक Vidyarthi Construction Private Limited., H/O-Netaji Nand Vihar, Mithanpura Colony, Po-Ramna, Muzaffarpur, Bihar-842002, E-mail- msyrcon@yahoo.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

क०प०३०

1844

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-09/2025-2338(E) /पटना, दिनांक 31/04/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0009
06/04/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

Ami
06.04.26

15

CE (Origin)

15/4/26

AM
15/4/26

4-12

15/4/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वारथ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

CE(S)
1843

कार्यालय आदेश संख्या-12/ दिनांक-06-04-2026
मुख्यमंत्री सात निरक्षर योजना पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजना "हर घर नल का जल" के तहत मेसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इंफ्राटेक प्रा0 लि0, मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पोस्ट-गोरीगामा जीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को एकरारनामा संख्या-SBD-19/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड सरैया का (O&M) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य आवंटित है। प्रति प्रखण्ड 20 अदद गरममति रख रख कर निर्मित योजनाओं का गरममति एवं सम्पोषण का कार्य कराया जाना है। जिसके लिये कई बार मैसिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-153 दिनांक-15.01.2026, पत्रांक-198 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-201 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-263 दिनांक-24.01.2026, पत्रांक-668 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-670 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-671 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-683 दिनांक-04.03.2026, पत्रांक-781 दिनांक-14.03.2026, एवं पत्रांक-826 दिनांक-17.03.2026 को निदेशित करते हुए 24 घंटे के अन्दर लंबित शिकायतों का निराकरण कर ATR उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। परंतु संवेदक के द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली गई। पुनः संवेदक को विभागीय मानक के अनुसार गैंग टीम (गरममति दल) रख कर CGRC एवं रत्रोतो से प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन कराने के लिये निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रुची नहीं ली गयी। कनीय अभियंता लोक स्वारथ्य प्रशाखा, सरैया का पत्रांक-शून्य दिनांक-16.02.2026 एवं सहायक अभियंता, लोक स्वारथ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक-20 दिनांक-14.03.2026, पत्रांक-27 दिनांक-24.03.2026, पत्रांक-30 दिनांक-28.03.2026, पत्रांक-34 दिनांक-05.04.2026 एवं पत्रांक-35 दिनांक-05.04.2026 द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि संवेदक द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति संवेदक के घोर त्वापरवाही से CGRC एवं अन्य रत्रोतो को प्राप्त शिकायत लम्बे समय से लंबित है। रा-समय कार्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती है। एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है वर्तमान में प्रखण्ड सरैया अन्तर्गत 136 अदद CGRC शिकायत लंबित है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र0 रा0	प्रखण्ड का नाम	कुल लंबित शिकायत की सं0	0-1 दिन से लंबित शिकायत की सं0	2-3 दिन से लंबित शिकायत की सं0	4-7 दिन से लंबित शिकायत की सं0	8-15 दिन से लंबित शिकायत की सं0	16-30 दिन से लंबित शिकायत की सं0	30 दिन से लंबित शिकायत की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	सरैया	136	2	12	27	48	27	20
	कुल	136	2	12	27	48	27	20

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वारथ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक-35 दिनांक-05.04.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिये सन्धक विनारोपना एवं विहार ठेकेदारी नियंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) की उप कंडिका तथा समान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी मेसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इंफ्राटेक प्रा0 लि0 मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पोस्ट-गोरीगामा जीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 एकरारनामा संख्या-SBD-19/2024-25 (सूचिवद्धता संख्या-02920240868) को अगले निविदा में भाग लेने से संबंधित (डिगार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त CGRC से प्राप्त लंबित शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राज्यसात कर दी जायेगी जिसके लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

06.04.26
कार्यपालक अभियंता

लोक स्वारथ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 26

15/4/26

16.4.26

1842

ज्ञापांक-935...../ दिनांक-06-04-2026
प्रतिलिपि:- मेरसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फास्टेक प्रा0 लि0, गवतन संख्या-123, ग्राम-रुपना, पारट-गोरीगंगा डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोतीपुर।
06.04.26
R/1/26

ज्ञापांक-938...../ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोतीपुर।
06.04.26
R/1/26

ज्ञापांक-938...../ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोतीपुर।
06.04.26
R/1/26

ज्ञापांक-938...../ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रमुख --सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोतीपुर।
06.04.26
R/1/26

ज्ञापांक-938...../ दिनांक-06-04-2026/
प्रतिलिपि:- ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल-पश्चिमी/पूर्वी), मुजफ्फरपुर-1 एवं 2/भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/योजना एवं विकास विभाग, मुजफ्फरपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, मुजफ्फरपुर/लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/सोन उच्च स्तरीय विभाग, मुजफ्फरपुर/पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/बुडको, मुजफ्फरपुर/LAEO मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोतीपुर।
06.04.26
R/1/26

सं०पाठ - 35

दिनांक - 5-4-26

प्रेषक - सहायक अभियंता
जीक स्टाठ अपर प्रांज
सरैया

1841

सेवा में

श्री Choudhary And Choudhary Infotec Ltd (प्रखंड सरैया)

विषय - CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत गिस्पादन नहीं करने के संबंध में

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आशुक्त में कहना है कि एकरनामा

सं० SBB-19 वर्ष 2024-25 प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग हस्ताक्षित प्रीजना
(O&M-PRD) से संबंधित जबाबदारी प्रीजना का कार्य के लिए शतरखाप एवं परिचालन
आवंटित है। CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत कुल 156 है कुल है एकरनामा
के अनुसार विभाग के द्वारा समय सीमा तक की गई है, जिसका अनुपादन नहीं
किमा जा रहा है भवः विचार के लिए अनुशंसा कि जाती है।

विभाग प्रमुख
श्री 5/4/26
सहायक अभियंता
जीक स्टाठ अपर प्रांज
सरैया

प्रतिनिधी - कामपालक अभियंता जीक स्टाठ प्रांज नोरीडर कौ स्टाठर शतुनायक स्तुपित

18/10
सेवा में,

सहायक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सरीया (मोतीपुर)।

विषय :- Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd. संवेदक को डिबार करने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अत्यंत खेदजनक एवं गंभीर विषय है कि Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd. द्वारा CGRC एवं अन्य शिक्मत के समाधान हेतु अनुबंध में निहित शर्तों एवं विभागीय निर्देशों की लगातार जानबूझ कर एवं गंभीर अवहेलना की जा रही है। यह तथ्य निर्विवाद है कि अनुबंध के अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु पर्याप्त संख्या (कुल 29) में मरम्मत दल की तैनाती अनिवार्य है परन्तु इसके विपरीत संवेदक इसके विपरीत संवेदक द्वारा अत्यंत लापरवाह एवं गैर जिम्मेदारान रवैया अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है वर्तमान में CGRC पोर्टल पर शिकायत ग्राम पंचायत नारंगीजीवनाथ वार्ड 02 के दीपक सिंह (मो 8002644008) CGRC शिकायत संख्या DCC020723000102261540 दिनांक 01-02-2026 कुल 16 दिन से तंत्रित है। जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि संवेदक न तो अनुबंधीय दायित्वों को गंभीरता से ले रहा है और न ही उपभोक्ता सेवा के प्रति उत्तरदायी है। यह भी स्पष्ट है किया जाता है कि पूर्व में बार बार मौखिक तथा लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद संवेदक के कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया गया है वर्तमान में शिकायत स्थल पर मरम्मत दल कार्यरत नहीं है और मुझे संवेदक द्वारा झुठा सुचना दिया जाता है फी CGRC शिक्मत का निराकरण कर दिया गया है जबकि मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है तो पता चलता है कि मरम्मत दल भेजा ही नहीं है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा संबिदात्मक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप सरीया प्रखंड में वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित होने वाले आम जनता के पेयजल की समस्या बनी हुई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आशोक में एकत्रितानामा के तहत Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd. को डिबार करने कि अनुरोध कि जाती है।

विश्वासभाजन

Shabra Khanam

16/02/2026

कनीय अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रशाखा -सरीया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

189

शेरा में,

Choudhary And Choudhary Infotech Pvt Ltd.

Muzaffarpur |

विषय :- लोक स्वास्थ्य परामर्श, सौभाग्य अंतर्गत CGRC के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन नहीं होने एवं मरम्मत दल नहीं रहने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा विभाजनित कार्य, रतनीय जलापूर्ति योजनाओं का व्यापक O&M और विशेष मरम्मत हेतु कार्य आवंटित किया गया है। विहित हो कि विभागीय पोर्टल CGRC से प्राप्त शिकायतों की संख्या वर्तमान में 04 अर्बुद शिकायत संयोजित है। यह अत्यंत गंभीर एवं घोर त्रासदायी है। यह निर्विवाद तथ्य है कि अनुबंध के अंतर्गत CGRC शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में मरम्मत दल कि तैनाती अनिवार्य है। जबकि आपके द्वारा वर्तमान में कुल 3 दल कार्यरत है जो अत्यंत ही खेदजनक है यह भी आपको स्पष्ट रूप अवगत कराया जाता है कि पूर्व आपको बार बार मौखिक एवं लिखित निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरान्त भी आपके मरम्मत दलों की संख्या बढ़ाने अथवा कार्य बंदनरथ में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। यह आचरण न केवल अनुबंध की शर्तों का खुला उल्लंघन है बल्कि विभागीय छवि को धूमिल किया जा रहा है।

आपका यह कृत यह सिद्ध करता है कि आप जानबूझकर कार्य में सिध्दता बरत रहे हैं तथा विभागीय आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आपको अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि अनुबंध कि दृष्टांतरक धाराओं के अंतर्गत प्रति शिकायत प्रति दिन निर्धारित अर्ध घण्टा तत्काल प्रभाव से की अहमरोपित किए जाने की जरूरत है कि आ रही है। जो इस पत्र के साथ संलग्न है। यदि इसके पश्चात भी 24 घंटों के अंदर CGRC शिकायतों के निष्पादन में आशंकेत सुधार नहीं पाया गया तो आपके विरुद्ध बिना किसी अतिरिक्त सूचना के संवेदा समाप्त करने कि अनुशांसा कि जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विरवारामाजन

14/03/24
सहायक अभियंता

लोक स्वास्थ्य अथर पंचायत -सहैय

प्रतिनिधि - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य पंचायत, मोतीपुर को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।

जापांक ...2.3.1...

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया ।

सेवा में,

मे० Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है ।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन ससमय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है । एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवाद के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें । अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

विश्वासभाजन

AP
24/3/24

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

AP
24/3/24

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

दिनांक :- 28-03-2026

गापांक ...20.....

1837

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरीया ।

सेवा में,

मै. Choudhary And Choudhary Infrotech Pvt Ltd (प्रखंड सरीया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में ।


महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरीया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तारित योजना (O & M-PRO) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है ।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन सतत नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है । एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवार के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिचादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें । अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।


विश्वासभाजन



सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरीया

प्रतिनिधि - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।



सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरीया

1836

गाथांक ...3.4.....

दिनांक :- 05-04-2026

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया।

सेवा में,

भे० Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में।


महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन सततमय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है। एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवाद के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें। अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विश्वासभाजन


5/4/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, भोतीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


5/4/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया